मनु लॉ कालेज में मूट कोर्ट का आयोजन

दिनाँक 23.09.2023 दिन शनिवार को मनु लॉ कालेज में विधि स्नातक पंचम् सेमेस्टर के छात्र/छात्राओं द्वारा भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 88, धारा 300 के अपवाद 1 तथा धारा 302 से सम्बन्धित **सन्दर्भित वाद के0एम0 नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य एआईआर 1961 सुप्रीम कोर्ट** के तथ्य एवं निर्णय पर मूट कोर्ट का मंचन मूट कोर्ट के को–आर्डिनेटर उप प्राचार्य श्री रुद्रेश कुमार एवं सहायक आचार्य सश्री नीलू कुमारी के दिशा–निर्देशन में किया गया। जिसमें छात्र/छात्राओं ने साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि तथा दाण्डिक विधि के विभिन्न तकनीकी पहलुओं को बड़े ही जीवन्त रूप में प्रस्तुत किया। इस मंचन में न्यायाधीश के रुप में जितेन्द्र थापा तथा अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता के रुप में मधुरिका शर्मा, बुशरा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के रुप में अमृता चौबे तथा राजेश प्रजापति के बहस एवं प्रस्तुतीकरण बहुत ही सराहनीय एवं प्रशंसनीय था तथा अपर्णा त्रिपाठी द्वारा साक्षी के रुप में जीवन्त प्रस्तुतीकरण किया गया। इस मूट कोर्ट मंचन में संतोष कुमार, खुश्बू चौहान, धनन्जय निषाद, अजय कुमार, इमरान अली, कृष्ण कुमार पाण्डेय, संगीता साहनी, अंजली सिंह, शिवांशु सिंह, दुर्गा प्रजापति, गुन्जन गौड़, माधुरी, साक्षी त्रिपाठी, नितीश तिवारी, अभिषेक खरवार ने भी अपने–अपने किरदार को सराहनीय ढ़ंग से प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर मनु लॉ कालेज के समस्त सहायक आचार्यगण उपस्थित होकर छात्र/छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ0 अखिलेश्वर राय ने छात्र/छात्राओं के जीवन्त प्रस्तुतीकरण की सराहना की तथा भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। इस आयोजन के दौरान मुख्य अतिथि के रुप में मनु लॉ कालेज के निदेशक डॉ0 दिनेश कुमार सिंह जी की गरिमामयी उपस्थिति रही तथा उनके द्वारा कार्यक्रम का समापन करते हुए मूट कोर्ट के महत्व पर व्यापक प्रकाश डाला गया तथा भविष्य में वृहद् रूप से अन्तरविश्वविद्यालयीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर मूट कोर्ट आयोजित करने हेतु प्राचार्य जी को निर्देशित किया गया जिससे न्यायिक क्षेत्र में मनु लॉ कालेज के छात्र/छात्राओं का सर्वांगीण विकास हो सके।